पत्र संख्या–अ०पा०–34 / 2022–

# बिहार सरकार
## वित्त विभाग

## संकल्प

**विषयः– बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (Bihar Institute of Public Finance and Policy) की स्थापना के संबंध में।**

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (National Institute of Public Finance and Policy) की तर्ज पर बिहार सरकार के वित्त विभाग को शोध सहायता प्रदान करने तथा वित्तीय मामलों में अनुसंधान संस्था के रूप में कार्य करने हेतु वर्ष 2008 में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (ADRI) के अंतर्गत लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) की स्थापना की गई थी। इस केन्द्र का मुख्य कार्य वित्तीय मामलों में अनुसंधान कार्य करने के साथ राज्य सरकार को आर्थिक मामलों में सुझाव एवं सहयोग प्रदान करना था।

**2.** वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार के कार्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। चूंकि लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) आद्री का एक केन्द्र है एवं इसपर आद्री के नियम लागू हैं, जिसके कारण इस केन्द्र के पेशेवर कार्य–कलाप तथा प्रशासनिक कार्यों में व्यवहारिक कठिनाई हो रही थी। इस केन्द्र के गुणवत्ता के स्तर को और बेहतर बनाने तथा कालबद्ध तरीके से दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित कराने के लिए इस संस्था के संगठन एवं प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी।

**3.** अतः लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) को आद्री से पृथक करते हुए तथा संगठन को अधिक स्वायत एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक नई संस्था **'बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (Bihar Institute of Public Finance and Policy)'** स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

**4.** यह संस्था मुख्य रूप से वित्तीय मामलों में एक अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये जानेवाले निम्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करेगा :

1. राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं उसके निवारण के लिए उपाय तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करना।
2. सरकार के कर एवं गैर कर राजस्व की स्थिति का मूल्यांकन और इसके आंतरिक श्रोतों में वृद्धि के तरीकों का सुझाव।
3. सरकार की अल्पकालिक / मध्यकालिक / दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी एवं व्यवहारमूलक ऋण प्रबंधन रणनीति की पहचान करना और ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित करने में सरकार की भूमिका की जाँच करना एवं सुझाव देना।
4. राज्य सरकार के व्यय की उपयोगिता का अध्ययन और प्रस्तावित व्यय के उद्देश्यों की पूर्ति में होनेवाली संस्थागत कठिनाईओं को दूर करने के लिए सुझाव।
5. केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा तथा केन्द्र के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए आवश्यक सुझाव देना एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन तैयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. आर्थिक सर्वेक्षण, हरित बजट, बाल बजट, जेंडर बजट, एफ.आर.बी.एम प्रतिवेदन आदि का नियमित रूप से तैयार करने में वित्त विभाग के साथ सहयोग करना।
7. राज्य सरकार के उपयोग हेतु फॉर्म और समेकित आर्थिक डाटा बैंक का संकलन।
8. लोक वित्त के विषयों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी / सेमिनार आयोजित करना एवं राज्य के बाहर के विशेषज्ञों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना।
9. संस्थान स्वायत्त अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, आर्थिक सुझाव देगा और वित्त विभाग / राज्य सरकार, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों द्वारा समय–समय पर समनुदेशित आर्थिक शोध कार्य करेगा।

**5.** इस संस्थान का अपना नियम एवं विनियम (Rules and Regulations) तथा संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) होगा, जिसकी प्रति **अनुलग्नक–1 एवं 2** के रूप में संलग्न है।

**6.** इस संस्थान का प्रशासी विभाग वित्त विभाग होगा एवं इसके पदेन अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग होंगे। संस्थान के सफल संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में यह संस्थान कार्य करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निम्न प्रकार होगा :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग | – | पदेन अध्यक्ष |
| (ii) | निदेशक, बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान | – | सदस्य सचिव |
| (iii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव योजना एवं विकास विभाग | – | सदस्य |
| (iv) | सचिव (संसाधन) | – | सदस्य |
| (v) | सचिव (व्यय) | – | सदस्य |
| (vi) | राष्ट्रीय स्तर के तीन विख्यात अर्थशास्त्री | – | सदस्य |

अर्थशास्त्रियों का मनोनयन संस्थान के अध्यक्ष की सहमति से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इनमें एक महिला सदस्य होंगी।

**7.** इस संस्थान के अंतर्गत स्वीकृत पद वही होंगे, जो वर्तमान में लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र के लिए हैं। लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) के सभी पद लोक वित्त एवं नीति संस्थान (BIPFP) में स्थानांतरित कर दिए जायेंगे।

**8.** नये संस्थान (बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान) के लिए शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मियों के चयन हेतु एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति के अध्यक्ष संस्थान के अध्यक्ष होंगे। यह चयन समिति CEPPF में वर्तमान में कार्यरत कर्मियों का उनके अनुभव एवं योग्यता के आधार पर चयन करेगी। बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान में

कार्यरत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक, कर्मी राज्य सरकार का सेवी नहीं होगा। संस्थान के कर्मियों की सेवा–शर्त्त का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

9. लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) की सभी परिसंपति और देयताएं (Assets and Liabilities) नये संस्थान को हस्तांतरित की जायेंगी।

10. इस संस्थान के संचालन के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान (Grants-in-Aid) के रूप में राशि उपलब्ध कराई जायेगी। यह अनुदान की राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में नया बजट शीर्ष खोलकर उपलब्ध कराई जायेगी।

11. बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान 01 अप्रैल, 2023 से कार्य करेगी। इसके साथ ही लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) से संबंधित सभी तरह के पूर्व में निर्गत राज्य सरकार के संकल्प/अधिसूचना/आदेश/निदेश को दिनांक 01.04.2023 से विलोपित माना जायेगा। राज्य सरकार आद्री के अन्तर्गत गठित लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लेगी।

**आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

23/12/2022
**(एस0 सिद्धार्थ)**
अपर मुख्य सचिव

**ज्ञाप सं0–अ0पा0–34/2022** - 877 **पटना, दिनांक–** 26/12/2022

**प्रतिलिपिः–** अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि संकल्प की दो सौ प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

23/12/2022
**(एस0 सिद्धार्थ)**
अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0–अ0पा0–34/2022 - 877 पटना, दिनांक– 26/12/2022

**प्रतिलिपिः**– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/12/2022
(एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0–अ0पा0–34/2022 - 877 पटना, दिनांक– 26/12/2022

**प्रतिलिपिः**– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/12/2022
(एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0–अ0पा0–34/2022 - 877 पटना, दिनांक– 26/12/2022

**प्रतिलिपिः**– वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/2022
(एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

Annexure-1

बिहार सरकार

# BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY (BIPFP)

# RULES

# AND

# REGULATIONS

**BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY**

**Vitt Bhawan, Gardanibagh, Patna - 800001**

Phone : ......................., Fax : ........................, E-mail :

# ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL RULES

# OF

# BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY (BIPFP)

Definition : In these rules unless there is anything repugnant to the subject or context :

(i) Society - Society means Bihar Institute of Public Finance and Policy (Society)

(ii) Institute means Bihar Institute of Public Finance and Policy (BIPFP),

(iii) Chairman means, The Chairman of the Institute

(iv) Rules means Rules of the Institute

(v) Regulation means Regulations of the Institute

(vi) Memorandum of Association means Memorandum of Association of Bihar Institute of Public Finance and Policy

(vii) Board means Board of Directors of the Institute

(viii) Director means Director of the Institute

(1) Introduction

The Bihar Institute of Public Finance and Policy will function as an Autonomous Academic Institution under Finance Department, Government of Bihar. The Institute, with a pool of expert economists, is to run on annual grants-in-aid from the Finance Department and would function as its advisor in economic matters on the pattern of National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, sponsored by Government of India.

(2) Objectives of the Institute

The long term objectives of the Institute would be to emerge as a national centre of excellence and a think tank in matters of public finance. In particular, the Institute, in the immediate future will try to address the following dimensions of public finances.

- Implications of the present level of deficits within short and medium-term perspective with special focus on fiscal deficit of the State.
- Explore possibilities of various tax and non-tax revenue enhancing measures, as well as rationalization of government expenditures that would contribute towards a deficit-reduction strategy.
- Distribution and quality of government spending and its relation to economic growth by developing a medium-term expenditure framework that ensures better resource allocation, increases predictability of future funding and highlights future requirements and their economic implications.
- Identification of a pragmatic and efficient debt management strategy in the short/medium/ long term perspectives and examine the role of the Government in implementing such strategies.
- Examine the issues of subsidies and user charges in the context of public utility services.

- To evolve a framework of improved public finance dynamics of the economically stressed states like Bihar, covering issues of debt sustainability, medium and long term expenditure framework, improved service delivery arrangements and ability to fund productive capital investments required to attract private investments.

- To undertake teaching, training and similar activities related to the above objectives.

(3) Support Services to Government of Bihar

This Institute will function as the research centre primarily relating to the financial matters and will discharge the responsibilities assigned by the State Government in particular, which may be as follows :

1. Present status of Fiscal Deficit of the state government and suggest the remedial measures.

2. Assess the status of tax and non-tax revenues of the government and suggest ways to increase its internal resources.

3. Examine various aspects of short / long term debt management policy of the government and suggest measures to contain it.

4. Study the utility of the state government expenditure pattern and suggest for further strengthening of the delivery mechanism of proposed expenditure.

5. Assess the Centre-state financial relations and suggest points for placing before the Centre for consideration.

6. Conduct the Economic Survey, Green Budget, Child Budget, Gender Budget, FRBM Report etc. and cooperate with the Finance Department in bringing out the same on a regular basis.

7. Form and Integrated Economic Data Bank for the use of the State Government.

8. Arrange National and International Seminars on Public Finance with the experts from outside the state.

9. The Institute will function as an Autonomous Academic Institution, offer economic suggestions and carry out economic research assigned by the Finance Department/State Government, national and international development organisations, from time to time.

(4) Board of Directors

There shall be a Board of Directors of the Institute which shall function as the supreme governing body.

The Board of Directors shall comprise of 8 members including the Chairperson as given below:

1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Finance Department, Government of Bihar (Ex-officio Chairman)
2. Member- Secretary: Director of the Institute (Ex-officio)
3. Additional Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary, Planning and Development Department, Government of Bihar
4. Secretary (Resource)
5. Secretary (Expenditure)
6. Member - Eminent Economist
7. Member - Eminent Economist
8. Member - Eminent Economist

All 3 eminent economists shall be nominated by the State Government in consultation with Chairman of the Institute in which one member shall be a Woman.

**Note :** In addition to the above members, the Board may associate with itself any person(s) in its meetings, if it considers the association of such a person(s)

useful in the general interest of the Institute. However, such person(s) associated with the Board will not have voting right, even though they may take part in the deliberations of the meeting

**Tenure :** The tenure of Chairman and members, other than ex-officio members will be for five years.

**Secretary :** The Director of the Institute shall be the Member Secretary of the Board.

**Quorum :** Five members present and attending shall constitute the quorum for the meetings of the Board of Director.

**Meetings :** The Board of Directors shall meet at least once in six months apart from Emergency meetings.

**Regulations:** The modalities and business of the Board of Directors shall be subject to such regulations as may be framed for the purpose.

(5) Functions of the Board of Directors

The Board of Directors, as the Supreme Governing Body of the Institute shall have full powers and authority to take all actions in the interest of the Institute, without prejudice to the Memorandum of Associations of the Society. It will, inter alia, be competent to procure, receive and utilise funds and assets, both movable and immovable, in the name of the Institute, create posts in the Institute and determine their pay scale and emoluments and make appointments thereto from time to time. The Board may delegate to any of its members, or any functionary of the Institute, such administrative, financial and other powers as it may deem proper in the interest of the Institute.

(6) Functions of the Chairman

The Chairman shall be the head of the Institute. He/She shall preside over all meetings of the Board in which he/ she is present. The Board of Directors may delegate to the Chairman such of its powers and functions as it may deem proper in the interest of the Institute. The Chairman in a situation of emergency may take such action as he/ she deems necessary to meet a contingency. However, it will be expected that he will use the emergency power given here only when it is

unavoidable and with due prudence. He/ She will report to the Board as soon as possible the action so taken.

(7) Director

(i) The Director shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Board, on such terms and conditions of service as may be prescribed.

(ii) The Director shall be appointed out of the panel of names recommended by a search-cum-selection committee to be constituted by the board, consisting of :-

(a) the Chairperson of the board, who shall be the Chairperson of the search-cum-selection committee;

(b) three members chosen from amongst eminent administrators, industrialists, educationists, economists, technocrats and management specialists:

(iii) The Director shall be an eminent professor and pre-eminent scholar in the area of applied public finance or economics.

(iv) The Director shall exercise the powers and perform the duties as may be assigned to him under the regulations or as may be delegated to him by the Board.

(v) The Director may, by notice in writing under his hand addressed to the Board, through the Chairperson, resign his office at any time.

(vi) The Board may remove from office the Director, who -

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a Director; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely affect prejudicially his functions as a Director; or

(e) has so abused his position or so conducted himself as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(vii) Where the post of Director falls vacant on account of any reason, the Chairperson of the institution shall also discharge the function of the director till a regular Director is appointed.

(viii) The Director of the Institute will be the Member- Secretary of the Institute. He will draw salary and benefits as may be decided by the State Government on the recommendation of the Board of Directors from time to time.

(ix) The Director as the executive head of the Institute will exercise control on all functionaries of the Institute. He will be responsible for the overall functioning of the Institute, for which he will be competent to take all actions, in consonance with all rules, regulations, manual, guidelines and decisions of the Board of Directors. He/ she will be the competent authority to take suitable decisions with regard to the staff of the Institute. He will enjoy such financial powers as may be decided by the Board of Directors from time to time. The Director will be competent to take emergency action to meet any contingency and immediately report the action so taken to the Chairman, and the Board of Directors in due course.

The Director may delegate some of his/her powers to other officers or functionaries of the Institute for administrative convenience.

(8) Academic Advisory Committee

This Institute will have an Academic Advisory Committee (AAC) with Chairperson who is an eminent economist. Besides the Chairperson, this committee will have experts from the area of economics/public finance/public policy/banking from all over the country to render technical advice in various policy matters with a view to enhancing the quality of research outputs and

usefulness of the Institute. This Committee will meet atleast once in a year to review the Institute's functioning and suggest measures for further improvements. It is expected that membership of AAC will be ordinarily for three years. The Terms of Reference of the AAC will be as follows:

(a) review of papers/documents prepared at the Institute and to suggest ways for improvement of faculty.

(b) institution of awards/fellowship and their implementation.

(c) choice of distinguished speakers for annual/other lecturers at Institute.

(d) consideration of any suggestion from the Board of Directors.

(e) any other matter that AAC may consider relevant for attaining academic excellence.

(9) Recruitment Rules and Service Conditions

Employees of the Institute will be recruited through such methods and they will be subject to such service conditions as may be laid down for the purpose.

(10) Establishment of Fund

There shall be a Fund exclusively for the Bihar Institute of Public Finance and Policy to which shall be credited.

Grants-in-Aid from State Government

(a) All moneys received by or on behalf of the Institute by way of grants from the state government.

Other Fund

(b) Gifts, donations or transfers from any organizations or individuals, including the State Government, Central Government, International Organisations, Voluntary Organisations, Trusts, etc. will be kept in a separate account called the Development Fund.

(c) All interests and profits arising from any transaction out of money belonging to the Institute, or movable and immovable property, proceeds from the sale of journals, pamphlets, books, video film materials including financial instruments of the Institute will also be part of Development Fund.

(d) All money received by the Institute in any other manner or from any other source will also be deposited in the Development Fund.

(e) The amount in the Development Fund will be spent with the approval of the Board of Directors.

(11) All money credited to the Fund shall be deposited, invested, kept, and spent by the Institute in such manner as may be decided by the Board of Directors.

(12) The Account(s) comprising the Funds shall be opened in a Scheduled Commercial Bank upon a resolution of Board and shall be operated in such manner as may be decided by the Board of Directors.

(13) The Board shall determine such amount of imprest cash to be kept in the Institute as it may deem necessary to meet day to day expenditure of the Institute.

(14) The Board may prescribe the format of annual budget, maintenance of accounts, and lay down procedure of financial transactions to ensure proper utilization and safeguards of the Institute Fund.

(15) The accounts of the Institute shall be audited every year by a competent agency as per decision of the Board, or as per requirement of a grant giving agency.

(16) Books of Account to be maintained by Institute

Institute shall keep proper updated books of account with respect to- (a) all sums of money received and expended by it and the matters in respect of which receipt and expenditure takes place; (b) the assets and liabilities of the institute; (c) the properties, movable and immovable of the Institute. Institute shall make audit every year by the auditor appointed by the Board of Directors.

(17) Annual Report of the Institute

The annual report of the Institute shall be prepared under the directions of the Board, which shall include, among other matters, steps taken by the Institute towards the fulfilment of its objects.

(18) Residual Matters

In matters of such things for which no provision has been made in these rules or where some ambiguity, vagueness, confusion, or lack of details are felt, the issue(s) will be resolved by the Chairman of the Institute in consultations with Finance Department of the State Government.

(19) Amendment

The rules may be amended in any meeting of the Board of Directors by majority of members present and voting and will become effective on ratification by the State Government.

## BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY

### Regulation

Short Title : These regulations may be called the Bihar Institute of Public Finance and Policy Regulations.

Conduct of Board : Meeting and allied business

1. Ordinary meetings of the Board of Director shall be held atleast once in six months to dispose of routine matters of the Institute.

   Emergency or extraordinary meeting of the Board can be called anytime with the concurrence of the Chairman.

   Requisition meeting can be called any time if two third of the total members make requisition to the Chairman for the same.

2. The Director of the Institute in his capacity as Member Secretary of the Board shall issue notice calling for the ordinary meetings in consultations with the Chairman.

   At least 15 days advance notice should be given before the scheduled date of the meeting. The notice should be clearly framed stipulating the date, time, and venue of the meeting.

3. The Director shall prepare the agenda of an ordinary meeting in consultation with the Chairman and he/she should circulate it in advance to all the members before the scheduled date of the meeting. Provided, however, with the permission of the Chairman any other matter can be raised for consideration which have not been included in the agenda.

In the emergency or the extraordinary meeting only one item will be considered for which the meeting has been called. However, the Chairman can allow some other matter to be raised for consideration if it is of urgent nature.

4. Five members of the Board of Directors present in person or on video conferencing shall constitute a quorum at any meeting of the Board of Directors.

5. Every meeting of the Board shall be preside over by the Chairman and in his absence by a member chosen from amongst, the members of the Board present at the meeting to preside in a particular meeting. For this purpose the Director will propose some member's name in which one should be acceptable to other members.

6. Each member of the Board, including the Chairman, shall have one vote and if there will be tie or equality of votes on any question, the Chairman shall have in additional casting vote.

7. Any business which it may be necessary for the Board to perform, may be carried out by circulation amongst all its members and any proposal, so circulated and approved by a majority of the members signing, shall be so effectual and binding as if it was approved in a regular meeting of the Board.

8. The Board may delegate to any of its members or any other officer of the Institute any of the powers and duties provided under these regulations.

9. The Board may associate any person (s) with its meetings, whose association it deems useful in the general interest of the Institute. However such persons attending the meeting will not have voting right.

10. The Board may, by majority resolution amend any of these regulations.

# बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान

## (बी0आई0पी0एफ0पी0)

नियमावली

और

विनियमावली

बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान

वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना–800001

फोन: ......................., फैक्स : ........................., ई–मेल :..................................

# बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (बी0आई0पी0एफ0पी0)

# की

# प्रशासनिक और वित्तीय नियमावली

परिभाषाः इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :

i. सोसाईटी– सोसाईटी से अभिप्रेत है बिहार वित्त एवं नीति संस्थान (सोसाईटी)

ii. संस्थान से अभिप्रेत है बिहार वित्त एवं नीति संस्थान (बी.आई.पी.एफ.पी)

iii. अध्यक्ष से अभिप्रेत है, संस्थान का अध्यक्ष,

iv. नियमावली से अभिप्रेत है संस्थान की नियमावली,

v. विनियमावली से अभिप्रेत है संस्थान की विनियमावली,

vi. संगम ज्ञापन से अभिप्रेत है बिहार वित्त एवं नीति संस्थान का संगम ज्ञापन,

vii. बोर्ड से अभिप्रेत है संस्थान का निदेशक मंडल,

viii. निदेशक से अभिप्रेत है संस्थान का निदेशक

(1) भूमिका

बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्वायत्त अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करेगा। विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर संस्थान वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अनुदान से संचालित होगा तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर आर्थिक विषयों में परामर्शी के रूप में कार्य करेगा।

(2) संस्थान के उद्देश्य

लोक वित्त के विषयों पर विशेषज्ञ समूह के रूप में उभारना तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में स्थापित करना इस संस्थान का दूरगामी उद्देश्य है। निकट भविष्य में संस्थान द्वारा लोक वित्त के निम्नलिखित आयामों पर ध्यान देने का प्रयास किया जायेगा।

- राज्य के राजकोषीय घाटे पर विशेष ध्यान देते हुए अल्प एवं मध्यम अवधि में वित्तीय घाटे के वर्तमान स्तर के प्रभाव का आंकलन।
- विभिन्न कर और गैर कर राजस्व को बढ़ाने के उपाय के साथ–साथ सरकारी व्यय के सुव्यवस्थीकरण की संभावना की तलाश करना, जिससे वित्तीय घाटे कम किया जा सके।
- वितरण और सरकारी खर्च की गुणवत्ता और मध्यमकालिक व्यय ढाँचें को विकसित कर आर्थिक वृद्धि के साथ इसका संबंध जो बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित करे, भविष्य के वित्त पोषण के पूर्वानुमान में वृद्धि करे और भविष्य की जरूरतों और उनके आर्थिक प्रभाव को उजागर करे।
- अल्पकालिक / मध्यकालिक / दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी एवं व्यवहारमूलक ऋण प्रबंधन रणनीति की पहचान करना और ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित करने में सरकार की भूमिका की जाँच करना।

- लोकोपयोगी सेवाओं के संदर्भ में सब्सिडी और उपभोक्ता शुल्क संबंधी विषयों की जाँच करना।
- बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की लोक वित्त गतिकी को सुधारने का ढाँचा विकसित करना, ऋण स्थिरता के मसले को आच्छादित करना, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक व्यय ढाँचा, सेवा प्रदान करने की उन्नत व्यवस्था तथा निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अपेक्षित उत्पादक पूँजी निवेश में निधि देना।
- शिक्षण, प्रशिक्षण और उपर्युक्त उद्देश्यों से संबंधित समान गतिविधियों की जिम्मेवारी लेना।

(3) बिहार सरकार की सहयोगी सेवाएँ

संस्थान मुख्य रूप से वित्तीय विषयों से संबंधित शोध केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और विशिष्टतः राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो निम्नलिखित है :

1. राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे की वर्तमान स्थिति और उपचारी उपायों का सुझाव।
2. सरकार के कर और गैर कर राजस्व की स्थिति का मूल्यांकन और इसके आंतरिक श्रोतों में वृद्धि के तरीको का सुझाव।
3. सरकार की अल्पकालिक/दीर्घकालिक ऋण प्रबंधन नीति के विभिन्न पहलू की जाँच और इसे कम करने के उपायों का सुझाव।
4. राज्य सरकार के व्यय पैटर्न की उपयोगिता का अध्ययन और प्रस्तावित वितरण तंत्र को और मजबूत करने के लिए सुझाव।
5. केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध का निर्धारण और केन्द्र के समक्ष विचारार्थ बिन्दुओं का सुझाव।

6. आर्थिक सर्वेक्षण, हरित बजट, बाल बजट, जेंडर बजट, एफ.आर.बी.एम प्रतिवेदन आदि का नियमित रूप से तैयार करने में वित्त विभाग के साथ सहयोग करना।

7. राज्य सरकार के उपयोग हेतु फार्म और समेकित आर्थिक डाटा बैंक का संकलन।

8. लोक वित्त विषय पर राज्य के बाहर के विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार की व्यवस्था करना।

9. संस्थान, स्वायत्त अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, आर्थिक सुझाव देगा और वित्त विभाग/राज्य सरकार, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों द्वारा समय–समय पर समनुदेशित आर्थिक शोध कार्य करेगा।

(4) निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स)

संस्थान का एक निदेशक मंडल होगा जो सर्वोच्च शासी निकाय होगा। निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित सात (7) सदस्य निम्न रूप में होंगे :

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार (पदेन अध्यक्ष)
2. सदस्य सचिव : संस्थान का निदेशक (पदेन)
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग
4. सचिव (संसाधन)
5. सचिव (व्यय)
6. सदस्य – प्रख्यात अर्थशास्त्री
7. सदस्य – प्रख्यात अर्थशास्त्री
8. सदस्य – प्रख्यात अर्थशास्त्री

सभी तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री संस्थान के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किए जायेगे, इनमें से एक सदस्य महिला होगी।

नोट : उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त बोर्ड अपनी बैठक में किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को शामिल कर सकेगा। यदि उसके विचार में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को शामिल करना संस्थान के सामान्य हित में हो, तथापि बोर्ड में शामिल ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को मतदान का अधिकार नहीं होगा, यद्यपि वे बैठक की चर्चाओं में भाग लेते हों।

कार्यकाल : अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।

सचिव : संस्थान का निदेशक, बोर्ड का सदस्य सचिव होगा।

गणपूर्ति : (कोरम) निदेशक मंडल की बैठक की गणपूर्ति पांच उपस्थित और भाग लेनेवाले सदस्यों से होगी।

बैठक : निदेशक मंडल की बैठक आपात बैठकों को छोड़कर छः माह में कम से कम एक बार होगी।

विनियम : निदेशक मंडल की कार्य रीति और कार्य ऐसे विनियमों के अधीन होंगे, जो इस प्रयोजनार्थ बनाए जायें।

(5) निदेशक मंडल के कार्य

संस्थान के सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में निदेशक मंडल को सोसाईटी के संगम ज्ञापन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संस्थान के हित में सभी कार्रवाई करने की पूरी शक्ति और प्राधिकार होगा। अन्य बातों के साथ–साथ यह संस्थान के नाम पर निधियों और चल एवं अचल परिसंपत्तियों की प्राप्ति, अधिप्राप्ति और उपयोग करने, संस्थान में पदों को सृजित करने तथा उनके वेतनमान एवं परिलब्धियों को निर्धारित करने और समय–समय पर नियुक्ति करने में सक्षम होगा। बोर्ड अपने संस्थान के किसी सदस्य या किसी कृत्यकारी को ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह संस्थान के हित में उचित समझे।

(6) अध्यक्ष के कार्य

अध्यक्ष संस्थान का प्रमुख होगा। वह बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें वह उपस्थित हो। निदेशक मंडल, अध्यक्ष को अपनी ऐसी शक्तियाँ एवं कार्य प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह संस्थान के हित में उचित समझे। आपात स्थिति में आकस्मिकता को पूरा करने के लिए अध्यक्ष द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी। तथापि यह अपेक्षित होगा कि वह यहाँ दी गई आपात शक्ति का उपयोग केवल तभी करेगा जब यह अपरिहार्य हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई को वह यथाशीघ्र बोर्ड को प्रतिवेदित करेगा।

(7) निदेशक

i. निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की अनुशंसा पर सेवा के लिए उपबंधित नियमों एवं शर्त्तों के अधीन की जायेगी।

ii. निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित की जानेवाली एक खोज–सह–चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में से की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे:–

(क) बोर्ड का अध्यक्ष जो खोज–सह–चयन समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) सुप्रसिद्ध प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, तकनीक –तंत्रियों (टेक्नोक्रेट) एवं प्रबंधन विशेषज्ञों के बीच से चुने हुए तीन सदस्य

iii. निदेशक अनुप्रयुक्त लोक वित्त (Applied Public Finance) या अर्थशास्त्र का एक सुप्रसिद्ध प्राध्यापक तथा श्रेष्ठ विद्धान होगा।

iv. निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों के अधीन उसे सौंपें जायें अथवा बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जायें।

v. निदेशक अध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को संबोधित अपने हाथ से लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

vi. बोर्ड ऐसे निदेशक को पद से हटा सकता है, जो –

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया हो, या

(ख) ऐसे अपराध में दोषसिद्ध किया गया हो, जिसमें बोर्ड के विचार से नैतिक अधमता शामिल हो या

(ग) निदेशक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हों, जिससे उसके निदेशक के रूप में कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आदेश हो या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया हो या उसने स्वयं ऐसा व्यवहार किया हो कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो।

vii. जहाँ किसी कारणवश निदेशक का पद खाली हो जाता है, वहाँ नियमित निदेशक की नियुक्ति तक प्रभार की देखरेख संस्थान के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

viii. संस्थान का निदेशक, संस्थान का सदस्य सचिव होगा। वह समय–समय पर निदेशक मंडल की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित वेतन तथा लाभों का आहरण करेगा।

ix. संस्थान के कार्यकारी प्रधान के रूप में निदेशक संस्थान के सभी कृत्यकारियों पर नियंत्रण करेगा। वह संस्थान से समस्त कियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए वह सभी नियमो, विनियमों, हस्तक, मार्गदर्शनों तथा निदेशक मंडल के निर्णयों के अनुकूल सभी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। वह संस्थान से सभी स्टाफ के संबंध में समुचित निर्णय लेने में

सक्षम प्राधिकारी होगा/होगी। वह समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा यथा निर्णीत वित्तीय शक्तियों का उपभोग करेगा। निदेशक किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए आपातकालीन कदम उठाने में सक्षम होगा और वह इस प्रकार के उठाए गए कदम से अध्यक्ष को तत्काल तथा निदेशक मंडल को यथा समय सूचित करेगा।

निदेशक प्रशासन की सहूलियत के लिए अपनी कतिपय शक्तायों को संस्थान के अन्य पदाधिकारियों या कृत्यकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(8) अकादमिक सलाहकार समिति

संस्थान में एक अकादमिक सलाहकार समिति (ए0ए0सी0) होगी, जिसका अध्यक्ष कोई सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री होगा। अध्यक्ष के अलावे इस समिति में देश भर से अर्थशास्त्र/लोक वित्त/लोक नीति/बैंकिंग क्षेत्र के परम विशिष्टियों के विशेषज्ञ होंगे, जो संस्थान की उपयोगिता तथा शोध–परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत मामलों में तकनीकी सुझाव प्रदान करेंगे। संस्थान के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए तथा आगे सुधार के लिए कदम सुझाने हेतु इस समिति की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। अकादमिक सलाहकार समिति की सदस्यता साधारणतः तीन वर्ष प्रत्याशित है। अकादमिक सलाहकार समिति को सौंपें गए काम निम्नांकित होंगे:–

(क) संस्थान में तैयार किए गए पत्रों/दस्तावेजों की समीक्षा करना और संकाय के सुधार के लिए मार्ग सुझाना।

(ख) पुरस्कारों/अध्येत्तावृत्ति का गठन और उनका कियान्वयन

(ग) संस्थान में वार्षिक/अन्य व्याख्यानों के लिए विशिष्ट वक्ताओं का चुनाव

(घ) निदेशक मंडल के किसी सुझाव पर विचारण

(ङ) अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य विषय जिस पर अकादमिक सलाहकार समिति विचार कर सकती हो।

(9) भर्ती नियमावली और सेवा शर्त्तें

संस्थान के कर्मियों की भर्ती ऐसे तरीकों से की जाएगी और वे ऐसे सेवा शर्त्तों के अधीन होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जायें।

(10) निधि की स्थापना

बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए अनन्य रूप से एक निधि होगी, जिसमें धन राशि जमा की जाएगी।

राज्य सरकार से सहायता अनुदान

(क) संस्थान द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त धनराशि जो राज्य सरकार से अनुदान के रूप में मिलती है।

अन्य निधि

(ख) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, न्यासों आदि सहित किसी संगठन यह व्यक्ति से प्राप्त उपहार, दान या अंतरण, विकास निधि नामक एक अलग खाता में रखा जाएगा।

(ग) संस्थान से संबंद्ध धनराशि या चल और अचल संपत्ति से कोई लेने–देन, जर्नल, पैम्फलेट, पुस्तक, वीडियो फिल्म सामग्री, जिसके अंतर्गत संस्थान का वित्तीय लिखत है कि बिक्री से प्राप्त आगम विकास निधि के भी भाग होंगे।

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशि विकास निधि में भी जमा की जायेगी।

(ङ) निदेशक मंडल के अनुमोदन से विकास निधि की राशि खर्च की जाएगी।

(11) निधि में जमा करायी गई सभी धनराशि संस्थान द्वारा ऐसी रीति से जमा की जाएगी, निवेश की जाएगी, रखी जाएगी और खर्च की जाएगी जो निदेशक मंडल द्वारा विनिश्चित की जाय।

(12) निधि का खाता (खाते) बोर्ड के संकल्प से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जाएगा और इस प्रकार संचालित किया जाएगा, जो निदेशक मंडल द्वारा विनिश्चित किया जाय।

(13) बोर्ड, अग्रदाय रोकड़ की ऐसी राशि संस्थान में रखने के लिए अवधारित करेगा, जो संस्थान के दैनंदिनी व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाय।

(14) बोर्ड वार्षिक बजट, लेखा अनुरक्षण का फॉर्मेट विहित कर सकेगा और संस्थान की निधि की समुचित उपयोगिता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय लेन–देन की प्रक्रिया अधिकथित कर सकेगा।

(15) संस्थान के लेखे बोर्ड के निर्णय के अनुसार या अनुदान देनेवाली एजेंसी (अभिकरण) की अपेक्षा के अनुसार सक्षम एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष संपरीक्षित कराए जायेंगे।

(16) संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जानेवाली लेखा बहियाँ

संस्थान (क) प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशि और विषय जिस बाबत प्राप्ति एवं व्यय होते हैं (ख) संस्थान की परिसंपत्ति और दायित्व (ग) संस्थान की चल और अचल संपत्ति की बाबत अद्यतन लेखा बहियाँ रखेगा। संस्थान निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से प्रति वर्ष लेखा परीक्षा कराएगा।

(17) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट

संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेशों के तहत तैयार की जायेगी, जिसमें अन्य मामलों के साथ–साथ संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में उठाए गए कदम शामिल होंगे।

(18) अवशिष्ट मामले

इस नियमावली में ऐसे विषयों के मामले में जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है या जहाँ कुछ संदिग्धता, अस्पष्टता, भ्रम या विवरणों की कमी महसूस की जाती है तो मुद्दों का हल संस्था के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

(19) संशोधन

नियमावली में संशोधन उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निदेशक मंडल की किसी बैठक में किया जा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसमर्थन पर प्रभावी होगा।

# बिहार लोक वित्त और नीति संस्थान

## विनियमावली

**संक्षिप्त शीर्षक :** **यह विनियमावली बिहार लोक वित्त और नीति संस्थान विनियमावली कही जा सकेगी।**

**बैठक का संचालन और संबंद्ध कार्य**

1. संस्थान के नियमित मामलों के निपटान के लिए 6 महीने में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की साधारण बैठक आयोजित की जाएगी।

   बोर्ड की आपात या असाधारण बैठक अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

2. संस्थान का निदेशक में बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में अपनी हैसियत से अध्यक्ष के परामर्श से साधारण बैठक बुलाने के लिए सूचना जारी करेगा।

   बैठक की नियम तिथि से कम से कम 15 दिन पहले अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। सूचना में स्पष्ट रूप से दिनांक, समय और बैठक के स्थल को अनुबद्ध किया जाना चाहिए।

3. अध्यक्ष के परामर्श से निदेशक किसी साधारण बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा और इसे बैठक की निर्धारित तिथि से पहले उसे सभी सदस्यों को अग्रिम में परिचालित करना चाहिए। परन्तु, अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला विचार के लिए उठाया जा सकता है, जिसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है।

   आपात या असाधारण बैठक में केवल एक विषय पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए बैठक बुलाई गई है। तथापि, अध्यक्ष विचार हेतु कुछ अन्य मामला उठाने की अनुमति दे सकता है, यदि यह अत्यावश्यक प्रकृति का हो।

4. निदेशक मंडल के पांच सदस्य व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर निदेशक मंडल की किसी भी बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

5. अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी और किसी विशेष बैठक में उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों में से एक को चुना जायेगा। इस प्रयोजनार्थ निदेशक कुछ सदस्य का नाम प्रस्तावित करेगा, जिसमें अन्य सदस्यों को एक नाम स्वीकार्य होना चाहिए।

6. अध्यक्ष, सहित, बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी प्रश्न पर मत टाई या समान हो जाय तो अध्यक्ष का अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

7. कोई कार्य, जिसे बोर्ड के लिए निष्पादित करना आवश्यक हो, इसके सभी सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा कार्यान्वित किया जा सकेगा तथा इस प्रकार परिचालित और अधिकांश सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव इतना प्रभावकारी और बाध्यकारी होगा, मानो कि इसे बोर्ड की नियमित बैठक में अनुमोदित किया गया था।

8. बोर्ड इन विनियमों के अधीन उपबंधित शक्तियों और कर्त्तव्यों में से किसी को संस्थान के अपने किसी सदस्य या किसी पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

9. बोर्ड किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को अपनी बैठकों में सहयुक्त कर सकता है, जिसका सहयोजन वह संस्थान के सामान्य हित में उपयोगी समझता हो, तथापि बैठक में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

10. बोर्ड बहुमत के संकल्प द्वारा इनमें से किसी भी विनियमावली को संशोधित कर सकता है।

Annexure-2

बिहार सरकार

# BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY (BIPFP)

## Memorandum

## of

## Association


**BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY**

Vitt Bhawan, Gardanibagh, Patna - 800001

Phone:.............., Fax:.............., E-mail:............

# MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE BIHAR INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLICY (BIPFP)

| | |
|---|---|
| *1. Name of the Society :* | The name of the society shall be **"Bihar Institute of Public Finance And Policy (BIPFP)"** |
| *2. Registered office of the Society:* | **Bihar Institute of Public Finance And Policy,**<br>Vitt Bhawan, Gardanibagh, Patna, Bihar<br>Pin Code- 800001<br><br>The registered office shall be changed as necessary. The information about changed office shall be given to the Registration Department and other concerned offices within 15 days. |
| *3. Area of Operation:* | Whole Bihar State. |

*4. Aims & Objectives of the Society:*

The long term objectives of the Institute would to emerge as a national centre of excellence and a think tank in matters of public finance. In particular, the Institute, in the immediate future will try to address the following dimensions of public finances.

- Implications of the present level of deficits within short and medium-term perspective with special focus on fiscal deficit of the State.
- Explore possibilities of various tax and non-tax revenue enhancing measures, as well as rationalization of government expenditures that would contribute towards a deficit-reduction strategy.
- Distribution and quality of government spending and its relation to economic growth by developing a medium-term expenditure framework

that ensures better resource allocation, increases predictability of future funding and highlights future requirements and their economic implications.

- Identification of a pragmatic and efficient debt management strategy in the short/medium/ long term perspectives and examine the role of the Government in implementing such strategies.
- Examine the issues of subsidies and user charges in the context of public utility services.
- To evolve a framework of improved public finance dynamics of the economically stressed states like Bihar, covering issues of debt sustainability, medium and long term expenditure framework, improved service delivery arrangements and ability to fund productive capital investments required to attract private investments.
- To undertake teaching, training and similar activities related to the above objectives.

This Institute will function as the research centre primarily relating to the financial matters and will discharge the responsibilities assigned by the State Government in particular, which may be as follows :

1. Present status of Fiscal Deficit of the state government and suggest the remedial measures.
2. Assess the status of tax and non-tax revenues of the government and suggest ways to increase its internal resources.
3. Examine various aspects of short / long term debt management policy of the government and suggest measures to contain it.
4. Study the utility of the state government expenditure pattern and suggest for further strengthening of the delivery mechanism of proposed expenditure.
5. Assess the Centre-state financial relations and suggest points for placing

before the Centre for consideration.

6. Conduct the Economic Survey, Green Budget, Child Budget, Gender Budget, FRBM Report etc. and cooperate with the Finance Department in bringing out the same on a regular basis.

7. Form and Integrated Economic Data Bank for the use of the State Government.

8. Arrange National and International Seminars on Public Finance with the experts from outside the state.

9. The Institute will function as an Autonomous Academic Institution, offer economic suggestions and carry out economic research assigned by the Finance Department/State Government, national and international development organisations, from time to time.

# बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान

# (बी0आई0पी0एफ0पी0)

## संगम ज्ञापन


बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान

वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना–800001

फोनः ......................., फैक्स : ........................, ई–मेल :.................................

| | |
|---|---|
| ***1. सोसाईटी का नाम :*** | इस सोसाईटी का नाम **बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान** होगा। |
| ***2. सोसाईटी का पंजीकृत कार्यालय:*** | **बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान,**<br>वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना–800001<br>आवश्यकतानुसार पंजीकृत कार्यालय का स्थान बदला जा सकेगा। कार्यालय का स्थान बदलने की स्थिति में 15 दिनों के अंदर निबंधन विभाग को सूचित किया जायेगा। |
| ***3. कार्य क्षेत्र:*** | पूरे बिहार राज्य |

***4. सोसाईटी का उद्देश्य:***

लोक वित्त के विषयों पर विशेषज्ञ समूह के रूप में उभारना तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में स्थापित करना इस संस्थान का दूरगामी उद्देश्य है। निकट भविष्य में संस्थान द्वारा लोक वित्त के निम्नलिखित आयामों पर ध्यान देने का प्रयास किया जायेगा।

- राज्य के राजकोषीय घाटे पर विशेष ध्यान देते हुए अल्प एवं मध्यम अवधि में वित्तीय घाटे के वर्तमान स्तर के प्रभाव का आंकलन।
- विभिन्न कर और गैर कर राजस्व को बढ़ाने के उपाय के साथ–साथ सरकारी व्यय के सुव्यवस्थीकरण की संभावना की तलाश करना, जिससे वित्तीय घाटे कम किया जा सके।
- वितरण और सरकारी खर्च की गुणवत्ता और मध्यमकालिक व्यय ढाँचें को विकसित कर आर्थिक वृद्धि के साथ इसका संबंध जो बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित करे, भविष्य के वित्त पोषण के पूर्वानुमान में वृद्धि करे और भविष्य की जरूरतों और उनके आर्थिक प्रभाव को उजागर करे।

- अल्पकालिक / मध्यकालिक / दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी एवं व्यवहारमूलक ऋण प्रबंधन रणनीति की पहचान करना और ऐसी रणनीतियों को कार्यान्वित करने में सरकार की भूमिका की जाँच करना।

- लोकोपयोगी सेवाओं के संदर्भ में सब्सिडी और उपभोक्ता शुल्क संबंधी विषयों की जाँच करना।

- बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की लोक वित्त गतिकी को सुधारने का ढाँचा विकसित करना, ऋण स्थिरता के मसले को आच्छादित करना, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक व्यय ढाँचा, सेवा प्रदान करने की उन्नत व्यवस्था तथा निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अपेक्षित उत्पादक पूँजी निवेश में निधि देना।

- शिक्षण, प्रशिक्षण और उपर्युक्त उद्देश्यों से संबंधित समान गतिविधियों की जिम्मेवारी लेना।

संस्थान मुख्य रूप से वित्तीय विषयों से संबंधित शोध केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और विशिष्टतः राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो निम्नलिखित है :

1. राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे की वर्तमान स्थिति और उपचारी उपायों का सुझाव।

2. सरकार के कर और गैर कर राजस्व की स्थिति का मूल्यांकन और इसके आंतरिक श्रोतों में वृद्धि के तरीको का सुझाव।

3. सरकार की अल्पकालिक / दीर्घकालिक ऋण प्रबंधन नीति के विभिन्न पहलू की जाँच और इसे कम करने के उपायों का सुझाव।

4. राज्य सरकार के व्यय पैटर्न की उपयोगिता का अध्ययन और प्रस्तावित वितरण तंत्र को और मजबूत करने के लिए सुझाव।

5. केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध का निर्धारण और केन्द्र के समक्ष विचारार्थ

बिन्दुओं का सुझाव।

6. आर्थिक सर्वेक्षण, हरित बजट, बाल बजट, जेंडर बजट, एफ.आर.बी.एम प्रतिवेदन आदि का नियमित रूप से तैयार करने में वित्त विभाग के साथ सहयोग करना।

7. राज्य सरकार के उपयोग हेतु फार्म और समेकित आर्थिक डाटा बैंक का संकलन।

8. लोक वित्त विषय पर राज्य के बाहर के विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय सेमिनार की व्यवस्था करना।

9. संस्थान, स्वायत्त अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, आर्थिक सुझाव देगा और वित्त विभाग/राज्य सरकार, राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय विकास संगठनों द्वारा समय–समय पर समनुदेशित आर्थिक शोध कार्य करेगा।